

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 15/2020 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये देवेन्द्र सिंह राणावत
खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी, भीलवाड़ा

बनाम

1. श्री राहुल कोगटा पुत्र बालमुकुन्द कोगटा,
मैसर्स मुरली मनोहर गृह उद्योग दुकान नं. 20,
कृषि उपज मण्डी, भीलवाड़ा निवासी काबरा
गली भोपालगंज भीलवाड़ा

— प्रार्थी

—विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं
दण्डनीय धारा 52

उपस्थित—

- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय परोकार उपस्थित
- 2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 11/1/2020

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है, कि विपक्षी राहुल कोगटा पुत्र बालमुकुन्द कोगटा, मैसर्स मुरली मनोहर गृह उद्योग दुकान नं. 20, कृषि उपज मण्डी, भीलवाड़ा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को उपयोग हेतु मिर्च पाउडर (मुरली मनोहर ब्राण्ड) इत्यादि का विक्रय कर रहा था। राहुल कोगटा पुत्र बालमुकुन्द कोगटा, मैसर्स मुरली मनोहर गृह उद्योग दुकान नं. 20, कृषि उपज मण्डी, भीलवाड़ा का विक्रेता एवं गवाह की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत मिर्च पाउडर (मुरली मनोहर ब्राण्ड) की 500-500 ग्राम के कुल 70 सील्ड पोलीपैक रखी थी। मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5 ए की प्रति, रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा कर जिला मजिस्ट्रेट के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म-6 मेमोरेण्डम,



न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.10.2019 को समय 5.10 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु राहुल कोगटा पुत्र बालमुकुन्द कोगटा, मैसर्स मुरली मनोहर गृह उद्योग दुकान नं. 20, कृषि उपज मण्डी, भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया। उस समय दुकान पर खाद्य विक्रेता/मैनेजर की हैसियत राहुल कोगटा पुत्र बालमुकुन्द कोगटा, मैसर्स मुरली मनोहर गृह उद्योग दुकान नं. 20, कृषि उपज मण्डी, भीलवाडा उपस्थित था एवं आम जनता को उपयोग हेतु मिर्च पाउडर (मुरली मनोहर ब्राण्ड) इत्यादि का विक्रय कर रहा था। विक्रेता से मौके पर फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति मांगी गई। विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य अनुज्ञा पत्र होना बताया।

मौके पर गवाह एवं विक्रेता की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (मुरली मनोहर ब्राण्ड) की 500-500 ग्राम की 4 सील्ड पोलीपेक खाद्य कारोबारकर्ता से नमूना वास्ते जाँच हेतु एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत खरीदे एवं इस बाबत 180/- रुपये देकर रसीद प्राप्त की।

इन खरीदशुदा 4 पैकड पैकेटों को गवाहों एवं विक्रेता के सामने चार लेबल नियमानुसार भरकर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स-793 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग-अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड एवं सीरीयल नं. एक्स-793 जो अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा हस्ताक्षरित थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4-4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपड़ी किया नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैंने व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका फर्द तैयार कर पढकर, पढाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये। सभी कार्यवाही गवाहों व विक्रेता के सामने पूर्ण की गई। जिस सील से नमूना भागों को सील चपड़ी किया था उसका मोनोग्राम मौके पर फर्द पर अंकित किया गया साथ ही मेरे द्वारा मौके पर गवाह की उपस्थिति में विक्रेता को लिए गये नमूने के IV Part की जाँच एक्रीकेटेड लेब में करवाने की सूचना भी दे दी गई थी।

खाद्य नमूना सं. एक्स 793 के एक सीलबन्द भाग को फार्म नं. 6 की एक प्रति के साथ जिस पर वहीं सील नमूना अंकित था जो मैंने नमूना लेते समय काम में ली थी। एक आउटर कवर में बंद कर, नमूने का विवरण एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला का नाम व पता लिखकर श्री बाबूलाल पायक, च.श्रे.क. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर एवं फार्म नं. 06 की दो प्रतियां एक लिफाफे में बंद कर भिजवाई गई।



खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S./169/FSSA/2019/162 दिनांक 22.10.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. एक्स - 793 मिर्च पाउडर (मुरली मनोहर ब्राण्ड) मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया। जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी राहुल कोगटा पुत्र बालमुकुन्द कोगटा, मैसर्स मुरली मनोहर गृह उद्योग दुकान नं. 20, कृषि उपज मण्डी, भीलवाडा द्वारा मिसब्राण्डेड मिर्च पाउडर (मुरली मनोहर ब्राण्ड) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 18.06.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 30.07.2020 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी स्वयं उपस्थित।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर की जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि मिर्च पाउडर (मुरली मनोहर ब्राण्ड) नमूना एक्स-793 में Chillies in this package contains admixture of not more than 2% of mustard edible oil is not given. Complete address is not given on the lable of the sample, contavention of regulation no. 2.2.2(6) of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling)Regulation 2011. इस प्रकार विपक्षी द्वारा **Food Safety and standards** (packaging & labelling) Regulation, 2011 का उल्लंघन कर मिसब्राण्डेड मिर्च पाउडर (मुरली मनोहर ब्राण्ड) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है।

विपक्षी ने अपने जवाब में अंकित किया कि जो सैम्पल लिया गया उस पाउच पर सहवन से तेल की मात्रा नही लिखी गयी जो मिसब्राण्ड माना गया है। मामले में विपक्षी लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण चाहता है। निवेदन है कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किया जाये।

न्याय निर्णय अंतिम एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाडा (राज.) 3



बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S./169/FSSA/2019/162 दिनांक 22.10.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. एक्स -793 मिर्च पाउडर (मुरली मनोहर ब्राण्ड) मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर की जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि मिर्च पाउडर (मुरली मनोहर ब्राण्ड) नमूना एक्स-793 Chillies in this package contains admixture of not more than 2% of mustard edible oil is not given. Complete address is not given on the lable of the sample, contavention of regulation no. 2.2.2(6) of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling)Regulation 2011. इस प्रकार विपक्षी द्वारा Food Safety and standards (packaging & labelling) Regulation, 2011 का उल्लंघन कर मिसब्राण्डेड मिर्च पाउडर (मुरली मनोहर ब्राण्ड) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड मिर्च पाउडर (मुरली मनोहर ब्राण्ड) का निर्माण एवं विक्रय किया गया है, जो कि खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियम 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी राहुल कोगटा पुत्र बालमुकुन्द कोगटा, मैसर्स मुरली मनोहर गृह उद्योग दुकान नं. 20, कृषि उपज मण्डी, भीलवाडा को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षी पर 4,000/-रूपये (अक्षरे चार हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक से 03 माह के अन्दर शास्ति राशि कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 11/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाडा (राज.)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर
- 2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा।
- 3 श्री राहुल कोगटा पुत्र बालमुकुन्द कोगटा, मैसर्स मुरली मनोहर गृह उद्योग दुकान नं. 20, कृषि उपज मण्डी, भीलवाडा निवासी काबरा गली भोपालगंज भीलवाडा को भेजकर लेख है कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाडा (राज.)